



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2016/अग्रहायण 2, 1938

No. 424] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2016/AGRAHAYANA 2, 1938

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2016

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016

सं. आईबीबीआई/2016-17/जीएन/आरईजी 003.—बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, 207 और 208 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमन बनाता है, अर्थात्-

अध्याय-1

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

- (1) इन विनियमनों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 कहा जाएगा।
(2) ये विनियमन 29 नवंबर, 2016 से प्रवृत्त होंगे :

परिभाषाएं

- (1) इन विनियमनों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अभिप्रेत न हो-
 - “बार काउंसिल” से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन गठित बार काउंसिल से अभिप्रेत है;
 - “पंजीकरण का प्रमाण पत्र” से बोर्ड द्वारा इन विनियमनों के साथ पठित संहिता की धारा 207 के अधीन प्रदान किए गए पंजीकरण के प्रमाण पत्र से अभिप्रेत है;
 - “संहिता” से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) से अभिप्रेत है;
 - “भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान” से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है;
 - “भारतीय लागत लेखाकार संस्थान” से लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है;

- (च) "भारतीय कंपनी सचिव संस्थान" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन स्थापित संस्थान से अभिप्रेत है; और
- (छ) "व्यावसायिक सदस्य" से किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के सदस्य के रूपमें नामांकित किए गए व्यक्ति से अभिप्रेत है।

(2) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इन विनियमनों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, के वही आशय होंगे जो उन्हें इस संहिता में दिए गए हैं।

अध्याय-II

दिवाला परीक्षाएं

3. (1) यह बोर्ड दिवाला, शोधन अक्षमता और प्रासंगिक विषयों में व्यक्तियों के ज्ञान और व्यावहारिक दक्षता की जांच करने के लिए स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से ऐसी रीति में और ऐसे समय अंतराल पर, जैसा कि विहित किया जाए, 'राष्ट्रीय दिवाला परीक्षा' का आयोजन करेगा।
- (2) यह बोर्ड दिवाला, शोधन अक्षमता और प्रासंगिक विषयों में व्यक्तियों के ज्ञान और ज्ञान के विनियोग की जांच करने के लिए स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से एक 'सीमित दिवाला परीक्षा' आयोजित करेगा।
- (3) 'सीमित दिवाला परीक्षा' के अर्हक अंकों सहित पाठ्यक्रम, प्ररूप और बारंबारता परीक्षा से कम-से-कम एक माह पहले बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

अध्याय-III

दिवाला व्यावसायिकों का पंजीकरण

पात्रता

4. कोई व्यक्ति दिवाला व्यावसायिक के रूप में पंजीकरण का पात्र नहीं होगा यदि वह –
- (क) नाबालिग है;
- (ख) भारत में न रहता हो;
- (ग) यथास्थिति विनियमन 5 या विनियमन 9 में निर्दिष्ट अर्हताएं और अनुभव न रखता हो;
- (घ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा छः माह से अधिक अवधि के लिए या नैतिक भ्रष्टता वाले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और दंड समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष न बीते हों;
- परंतु यह यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और उसके लिए उसे सात वर्ष या अधिक अवधि के लिए सजा दी गई है तो वह पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होगा;
- (ङ.) वह एक अभुक्त दिवाला है या उसने दिवाला के रूप में निर्णय हेतु आवेदन किया हो;
- (च) उसे अस्वस्थ मानसिकता वाला घोषित किया गया हो; या
- (छ) वह उपयुक्त और उचित व्यक्ति न हो।

स्पष्टीकरण- यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति इन विनियमनों के अधीन उपयुक्त और उचित है, यह बोर्ड सही समझे जाने वाले निम्नलिखित मानकों सहित परंतु उन तक सीमित न रहते हुए किसी भी दृष्टिकोण से विचार करेगा –

- (i) सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और चरित्र,
- (ii) अपराध सिद्धि और निरोधक आदेश न होना, और
- (iii) वित्तीय साख तथा निवल मूल्य सहित सक्षमता।

अर्हताएं और अनुभव

5. इन विनियमनों के अन्य उपबंधों के अधीन कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए पात्र होगा यदि उसने –
- (क) राष्ट्रीय दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण की है;
- (ख) सीमित दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण की है और उसे किसी स्थापित या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद प्रबंध में 15 वर्ष का अनुभव है; या

- (ग) सीमित दिवाला परीक्षा पास की है और निम्नलिखित के रूप में दस वर्ष का अनुभव है -
- एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत है,
 - एक कंपनी सचिव जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत है,
 - एक लागत लेखाकार जो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक सदस्य के रूप में पंजीकृत है, या
 - किसी बार काउंसिल में पंजीकृत कोई अधिवक्ता।

पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

6. (1) किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी में एक व्यावसायिक सदस्य के रूप में पंजीकृत कोई व्यक्ति इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्रारूप क में दस हजार रुपए के गैर-प्रत्यावर्तनीय आवेदन शुल्क के साथ बोर्ड को आवेदन कर सकता है।
- (2) यह बोर्ड इस विनियमन के अधीन आवेदन प्राप्ति के सात दिन के अंदर इसकी पावती देगा।
- (3) यह बोर्ड आवेदक को समुचित समय के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण, जैसा कि वह उपयुक्त समझे, प्रस्तुत करने को कह सकता है।
- (4) यह बोर्ड किसी आवेदक को समुचित समय के भीतर बोर्ड के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन पर कार्रवाई के लिए अपेक्षित स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होने को कह सकता है।

पंजीकरण का प्रमाण पत्र

7. (1) यदि बोर्ड आवश्यक समझे जाने वाले निरीक्षण या जांच के बाद संतुष्ट है कि आवेदक इन विनियमनों के अधीन पात्र है तो वह बोर्ड आवेदन प्राप्ति के साठ दिन के अंदर इन विनियमनों की दूसरी अनुसूची के प्रारूप ख में दिवाला व्यावसायिक के कार्यकलापों को चलाने हेतु पंजीकरण का प्रमाण पत्र दे सकता है जिसमें बोर्ड द्वारा यथास्थिति अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए दिया गया समय शामिल नहीं है।

- (2) यह पंजीकरण इन शर्तों के अधीन होगा कि दिवाला व्यावसायिक -
- हमेशा संहिता, इसके अधीन नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों तथा दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें वह पंजीकृत है, की उप-विधियों का पालन करेगा;
 - हमेशा विनियमन 4 के अधीन अपेक्षाओं को पूरा करेगा;
 - प्रमाण पत्र प्रदान करने के वर्ष के बाद प्रत्येक पांच वर्ष के बाद बोर्ड को दस हजार रुपए की फीस देगा;
 - यदि वह भारत का नागरिक नहीं है तो वह दिवाला व्यावसायिक के रूप में अपनी सेवाएं तब तक नहीं देगा जब तक कि वह विनियमन 13 के अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था का एक भागीदार या निदेशक नहीं बन जाता;
 - एक दिवाला व्यावसायिक एजेंसी से दूसरी एजेंसी में अपनी व्यावसायिक सदस्यता अंतरित करने के लिए दोनों संबंधित दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों से अनापत्ति प्राप्त करने के बाद बोर्ड की पूर्व अनुमति लेगा;
 - शिकायतों के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय करेगा;
 - कोई कार्य पूरा होने के कम से कम तीन वर्ष तक संहिता के अधीन उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों का रिकार्ड रखेगा;
 - इन विनियमनों के पहली अनुसूची में निर्दिष्ट आचार संहिता का अनुपालन करेगा; और
 - बोर्ड द्वारा लगाई गई ऐसी अन्य शर्तों का पालन करेगा।

प्रमाण पत्र प्रदान करने से इंकार

8. (1) यदि विनियमन 6 के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद बोर्ड का प्रथम दृष्टतया यह मत है कि पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाना चाहिए तो ऐसा मत बनाने के कारणों को सूचित करेगा और आवेदक को बोर्ड से सूचना प्राप्ति के पंद्रह दिन के अंदर एक अंतिम मत बनाने के लिए यह स्पष्ट करने का अवसर देगा कि उसका आवेदन क्यों स्वीकार किया जाए।

(2) आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के अंदर आवेदक को उप-विनियमन (1) के अधीन सूचित किया जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा यथास्थिति अतिरिक्त दस्तावेज, सूचना या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए दिया गया समय शामिल नहीं है।

(3) उप-विनियमन (1) के अधीन आवेदक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, यदि हो पर विचार करने के बाद यह बोर्ड अपना निर्णय सूचित करेगा -

- (क) आवेदन की स्वीकृति और पंजीकरण प्रमाण पत्र,
- (ख) एक आदेश द्वारा आवेदन की नामजूरी और उसके कारण स्पष्टीकरण की प्राप्ति के तीस दिन के अंदर।

सीमित अवधि के लिए पंजीकरण

9. (1) विनियमन 5 के किसी उपबंध के होते हुए भी कोई व्यक्ति सीमित अवधि के दिवाला व्यावसायिक के रूप में पंजीकृत होने का पात्र होगा यदि वह -

- (क) पंद्रह वर्ष से 'व्यवसायगत' रहा है -
 - (i) एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत है,
 - (ii) एक कंपनी सचिव जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत है,
 - (iii) एक लागत लेखाकार जो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक सदस्य के रूप में पंजीकृत है, या
 - (iv) किसी बार काउंसिल में पंजीकृत कोई अधिवक्ता; और
- (ख) इन विनियमनों की दूसरी अनुसूची के प्रारूप क में पंजीकरण के लिए आवेदन उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जिसके साथ वह पंजीकृत है, को 31 दिसंबर, 2000 को या उससे पहले पांच हजार रुपए की गैर-प्रत्यावर्तनीय आवेदन फीस के साथ प्रस्तुत करे जिसे बोर्ड की ओर से उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा वसूल की जाएगी।

(2) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी वसूल की गई फीस और उप-विनियमन (1)(ख) के अधीन प्राप्त आवेदनों के ब्यौरे बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

(3) उप-विनियमन (1) में कोई व्यक्ति बोर्ड को उप-विनियमन (2) के अधीन ब्यौरे और फीस प्रस्तुत करने पर सीमित अवधि के लिए पंजीकृत किया जाएगा जो प्रस्तुत करने की तारीख छः माह की अवधि के लिए मान्य होगा।

(4) उप-विनियमन (3) के अधीन पंजीकृत कोई दिवाला व्यावसायिक अपना पंजीकरण समाप्त होने के बाद दिवाला व्यावसायिक के रूप में कोई कार्य शुरू नहीं करेगा:

परंतु वह अपना पंजीकरण समाप्त होने से पहले शुरू किए गए लंबित कार्यों को पूरा कर सकता है और उसका पंजीकरण इस सीमित प्रयोजन के लिए मान्य माना जाएगा।

अध्याय-IV

अस्थायी अभ्यर्पण और अनुशासनिक कार्रवाई

अस्थायी अभ्यर्पण

10. (1) यदि किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के किसी व्यावसायिक सदस्य अपना सदस्यता प्रमाण पत्र अस्थायी रूप से अभ्यर्पित किया है या अस्थायी अभ्यर्पण के बाद सदस्यता प्रमाण पत्र दोबारा प्राप्त किया है तो वह एजेंसी यथास्थिति अस्थायी अभ्यर्पण या दोबारा प्राप्त करने के लिए आवेदन का अनुमोदन करने से अधिकतम सात दिन के अंदर बोर्ड को सूचित करेगा।

(2) यह बोर्ड उप-विनियमन (1) के अधीन प्राप्त सूचना को नोट करेगा।

अनुशासनात्मक कार्रवाई

11.(1) किसी जांच या अन्वेषण के परिणामों, या अभिलेख में उपलब्ध मामलों के आधार पर यदि बोर्ड का प्रथम दृष्टया मत है कि धारा 220 के तहत अनुज्ञेय कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त कारण है तो वह दिवाला व्यावसायिक को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

(2) कारण बताओ नोटिस लिखित में होगा और इसमें उल्लेख होगा कि -

- (क) उस संहिता के प्रावधान, जिसके तहत यह जारी किया गया है;
- (ख) कथित तथ्यों का विवरण;
- (ग) कथित तथ्यों के समर्थन में दिए गए साक्ष्यों का विवरण;

- (घ) संहिता, नियम, विनियम, दिशा-निर्देशों के प्रावधान, जिनके तहत कथित उल्लंघन किया गया है या वह तरीका जिसमें सार्वजनिक हित कथित रूप से प्रभावित किया जाता है;
- (ङ) यदि आरोप स्थापित होते हैं तो बोर्ड द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई या जारी किए जाने वाले प्रस्तावित दिशा-निर्देश;
- (च) वह तरीका जिसमें दिवाला व्यावसायिक को कारण बताओ नोटिस का उत्तर देना अपेक्षित है;
- (छ) कारण बताओ नोटिस का उत्तर नहीं देने के परिणाम; और
- (ज) कारण-बताओ नोटिस के निपटान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
- (3) कारण बताओ नोटिस में उन दस्तावेजों, जिन पर यह आधारित है, की प्रतियां और जांच या निरीक्षण, या अन्य अभिलेखों की रिपोर्ट से प्रासंगिक हिस्से के सारांश को संलग्न होगा।
- (4) दिवाला व्यावसायिक को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस निम्नलिखित तरीके में होगा:-
- (क) दिवाला व्यावसायिक को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पावती सहित उस पते पर भेजना, जो उसके द्वारा दिया गया है या उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा दिया गया है जिसमें वह नामांकित है; या
- (ख) किसी उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिवाला व्यावसायिक के ई-मेल पते पर भेजना, जो उसके द्वारा दिया गया है या उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा दिया गया है, जिसमें वह नामांकित है।
- (5) बोर्ड कारण बताओ नोटिस के निपटान के लिए एक अनुशासनात्मक समिति का गठन करेगा।
- (6) अनुशासनात्मक समिति कार्य सौंपे जाने के छः माह की अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस का निपटान करने का प्रयास करेगी।
- (7) अनुशासनात्मक समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में किसी उचित आदेश उप-विनियम (5) के तहत दिए गए कारण बताओ नोटिस का निपटान दिवाला व्यावसायिक द्वारा किये गये निवेदन, यदि कोई है तो, प्रासंगिक महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों और वस्तुगत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद निपटान करेगी।
- (8) किसी कारण बताओ नोटिस के निपटान वाले आदेश में निम्नलिखित के लिए प्रावधान होगा –
- (क) कोई कार्रवाई नहीं;
- (ख) चेतावनी;
- (ग) धारा 220(2) से (4) के तहत कोई भी कार्रवाई; या
- (घ) धारा 220(5) के तहत बोर्ड द्वारा की जाने वाली किसी कार्रवाई का संदर्भ।
- (9) उप-विनियम (7) के तहत पारित आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि आदेश के जारी करने की तारीख से तीस दिन नहीं निकल जाते हैं या जब तक अनुशासन समिति अपने आदेश में कारणों सहित अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करती।
- (10) उप-विनियम (7) के तहत पारित आदेश दिवाला व्यावसायिक को उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें वह अभी नामांकित किया गया है, को जारी किए गए आदेश की एक प्रति सहित जारी किया जाएगा और बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

अध्याय V

दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं की मान्यता

दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं की मान्यता :

12. (1) कोई सीमित देयता भागीदारी, रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म या कोई कंपनी एक दिवाला व्यावसायिक हो सकती है, यदि –
- (क) सीमित देयता भागीदारी या रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म के अधिकांश भागीदार दिवाला व्यवसायिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं; अथवा
- (ख) कंपनी के अधिकांश पूर्णकालिक निदेशक दिवाला व्यावसायिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं, जैसा भी मामला हो।
- (2) उप-विनियम (1) के तहत पात्र कोई व्यक्ति बोर्ड की किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता के लिए इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्ररूप ग में आवेदन कर सकता है।

13. (1) ऐसी जांच या निरीक्षण, जो इन विनियमों के तहत आवेदक की पात्रता के लिए आवश्यक हैं, के बाद यदि बोर्ड संतुष्ट है तो वह दिवाला व्यावसायिक संस्था के रूप में मान्यता का एक प्रमाणपत्र इन विनियमों की दूसरी अनुसूची के प्ररूप घ में जारी कर सकता है।

(2) यह मान्यता इस शर्त पर आधारित होगी कि दिवाला व्यावसायिक संस्था –

- (क) हमेशा विनियम (12) के तहत अपेक्षाओं को लगातार पूरा करेगी;
- (ख) यदि कोई दिवाला व्यावसायिक इसके निदेशक या भागीदार नहीं रहता, जैसा भी मामला हो, तो सात दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगी;
- (ग) यदि कोई दिवाला व्यावसायिक इसके निदेशक या पक्षकार, जैसा भी मामला हो के रूप में नियुक्त किया जाता है तो सात दिन के भीतर बोर्ड को सूचित करेगी; और
- (घ) ऐसी अन्य शर्तों, जो भी विनिर्दिष्ट हैं, का पालन करेगा।

(3) कोई दिवाला व्यावसायिक संस्था ऐसी भागीदारी या निदेशकता के दौरान दिवाला व्यावसायिक के रूप में वचनबद्ध अपने भागीदारों या निदेशकों के सभी कार्यों या कृत्यों का संयुक्ततः और पृथकतः रूप से उत्तरदायी होगा।

14. जहां बोर्ड का मानना है कि किसी दिवाला व्यावसायिक संस्था की मान्यता रद्द करने के लिए पर्याप्त कारण हैं तो वह एक तार्कसंगत आदेश पारित करके ऐसा कर सकता है।

प्रथम अनुसूची

[विनियम 7(2)(ख) के तहत]

दिवाला व्यवसायिकों हेतु आचार संहिता

स्वतंत्रता और निष्पक्षता

1. एक दिवाला व्यावसायिक ईमानदार, स्पष्टवादी और अपने समस्त व्यावसायिक संबंधों में निष्कपट रहेगा।
2. एक दिवाला व्यावसायिक किन्हीं तथ्यों या परिस्थितियों को गलत तरीके से पेश नहीं करेगा और किसी ऐसे कार्य में लिप्त नहीं होगा जिससे व्यवसाय की बदनामी हो।
3. एक दिवाला व्यावसायिक अपने व्यावसायिक कार्यों में यह सुनिश्चित करते हुए निष्पक्षता से कार्य करेगा कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय पक्षपात रहित, हितों के टकराव और दबाव रहित हों, तथा किसी पक्ष का अनुचित प्रभाव नहीं हो, भले ही वह दिवाला कार्रवाई से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है अथवा नहीं।
4. एक अंतरिम संकल्प व्यावसायिक, संकल्प व्यावसायिक, समापक या शोधन अक्षमता न्यासी के रूप में नियुक्त कोई दिवाला व्यावसायिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को ऋणदाता की किसी आस्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा और नहीं जानते बूझते किसी रिश्तेदार को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा।
5. एक दिवाला व्यावसायिक को अपने व्यावसायिक संबंधों में पूर्ण स्वतंत्रता रखनी चाहिए और दिवाला संकल्प, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, को बाह्य प्रभावों से दूर रखना चाहिए।
6. यदि दिवाला व्यावसायिक समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया के दौरान जब ऋणी की आस्तियों से संबंधित कार्य कर रहा है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह या उसके संबंधी ऐसी किसी संपत्ति का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जानते बूझते अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं अन्यथा यह माना जाएगा कि समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया में विषय से संबंधित कोई कमी, निष्पक्षता और स्वतंत्रता नहीं थी और इस मामले में बोर्ड का अनुमोदन ले लिया गया है।
7. कोई दिवाला व्यावसायिक संहिता के तहत कोई कार्य नहीं लेगा यदि वह, उसका कोई संबंधी उस दिवाला व्यावसायिक निकाय, जिसका वह भागीदार या निदेशक है, या जिसका वह दिवाला व्यावसायिक किसी भागीदार या वह निदेशक है, कारपोरेट व्यक्ति/ऋणी या इससे संबंधित पक्षों के संबंध में संहिता के तहत प्रक्रियाओं से संबंधित विनियम के अनुसरण में स्वतंत्र नहीं है।
8. एक दिवाला व्यावसायिक संहिता की धारा 53 या 178 के तहत वितरण के पात्र किसी हितधारक के साथ किसी आर्थिक या व्यक्तिगत संबंधों का प्रकटीकरण करेगा और संबंधित कारपोरेट व्यक्ति/ऋणी को इसकी जानकारी मिलते ही आवेदक, लेनदारों की समिति और नियुक्ति के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों, जैसा भी लागू है, को घोषणा करके प्रकटीकरण करेंगे।
9. कोई दिवाला व्यावसायिक लेनदारों की समिति या ऋणी या अन्य हितधारकों को संहिता के तहत निर्णय या कार्य को प्रभावित नहीं करेगा, ताकि अपने स्वयं के लिए या अपने संबंधित पक्षकारों के किसी अनुचित या गलत लाभ नहीं ले या अनुचित या गलत लाभों के लिए

किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए कोई अनुचित वरीयता न हो और किन्हीं गलत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की अवैध या गलत साधनों को नहीं अपनाएगा।

व्यावसायिक सक्षमता

10. किसी दिवाला व्यावसायिक को सक्षम व्यावसायिक सेवा प्रदान करने के लिए उसकी व्यावसायिक जानकारी और कौशलता को बढ़ाना होगा।

सही तथ्यों और गलत फहमियाँ दूर करने का वर्णन

11. किसी दिवाला व्यावसायिक को संहिता के तहत किसी गलतफहमी या गलत प्रतिफल, जिसका उसे पता है, को ऐसे व्यक्तियों को, जैसा कि संहिता के अनुसार जैसा भी आवश्यक हो।

12. किसी दिवाला व्यावसायिक को बोर्ड, निर्णायक प्राधिकारी, या किसी हितधारक, जैसा भी लागू हो, से कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छिपानी चाहिए या उन्हें गलत विवरण देकर भ्रमित नहीं करना चाहिए।

समय-सीमाएं

13. किसी दिवाला व्यावसायिक को दिवाला संकल्प, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, के लिए संहिता और नियमों, विनियमों और उसके तहत दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा का पालन करेगा और अपने कार्यों की ध्यानपूर्वक योजना बनाएगा और अपने कर्तव्यों का समय से निर्वहन करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ यथाशीघ्र संवाद करेगा।

14. कोई दिवाला व्यावसायिक संहिता के तहत अपने कार्यों और कर्तव्यों को करते समय गलत उद्देश्य या लापरवाही से कार्य नहीं करेगा।

सूचना प्रबंधन

15. किसी दिवाला व्यावसायिक को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हितधारकों के साथ सभी संवाद भले ही वे नोटिस, रिपोर्ट, अपडेट, दिशा-निर्देश या स्पष्टीकरण के रूप में हो, अग्रिम और साधारण, स्पष्ट और प्राप्तकर्ताओं द्वारा आसानी से समझे जाने वाले तरीके से किए गए हैं।

16. किसी दिवाला व्यावसायिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह लिए गए किसी भी निर्णय, निर्णय लेने के कारण और ऐसे निर्णय के समर्थन में सूचना और साक्ष्यों का समसामयिक लिखित रिकार्ड रखता है। यह उसके निर्णयों और कार्रवाइयों की औचित्य पर विचार करने के लिए किसी तार्किक व्यक्ति को पर्याप्त रूप से सक्षम बनाता है।

17. किसी दिवाला व्यावसायिक किसी हितधारक के साथ जब तक कोई निजी संवाद नहीं करेगा, तबतक कि संहिता, नियमों, विनियमों, उनके तहत दिशा-निर्देशों या निर्णायक प्राधिकारी के आदेशों द्वारा यह अपेक्षित नहीं हो।

18. किसी दिवाला व्यावसायिक को बोर्ड, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें वह नामांकित किया गया है, द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण और जांच के लिए उपस्थित होना होगा और सहयोग करना होगा।

19. किसी दिवाला व्यावसायिक को, बोर्ड या दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, जिसमें वह नामांकित किया गया है, के द्वारा अपेक्षित सभी सूचना और रिकार्ड उपलब्ध करवाना होगा।

20. किसी दिवाला व्यावसायिक को बोर्ड द्वारा आयोजित किसी आवधिक अध्ययन, अनुसंधान और लेखा परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा और सूचना उपलब्ध करवानी होगी।

गोपनीयता

21. किसी दिवाला व्यावसायिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिवाला संकल्प प्रक्रिया, समापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, के संबंध में सूचना की हमेशा गोपनीयता रखी गई है। तथापि, इससे संबंधित पक्षों की सहमति या कानून की अपेक्षा पर कोई सूचना उपलब्ध कराने से नहीं रोका जाएगा।

व्यावसाय, रोजगार और प्रतिबंध

22. किसी दिवाला व्यावसायिक को क्षमता से अधिक कार्य लेने से रोकना होगा, यदि वह अपने प्रत्येक कार्य को पर्याप्त समय देने में समर्थ नहीं है।

23. कोई दिवाला व्यावसायिक अन्य कोई रोजगार नहीं करेगा जब तक कि वह दिवाला व्यावसायिक संस्था जिसके साथ वह पंजीकृत है, का सदस्यता प्रमाणपत्र अस्थाई रूप से त्याग नहीं करता।

24. कोई दिवाला व्यावसायिक ऐसा व्यापार नहीं करेगा जो बोर्ड के अनुसार व्यावसाय की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है।

पारिश्रमिक एवं लागत

25. किसी दिवाला व्यावसायिक पारिश्रमिक के लिए सेवा प्रदान करेगा, जो कि पारदर्शिता से वसूल किया जाए तथा कार्य को आवश्यक रूप से और उचित रूप से करने को दर्शाता है और लागू विनियमों के अनुरूप है।

26. कोई दिवाला व्यावसायिक अपने पारिश्रमिक निर्धारित करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित और प्रकटित हो, के अलावा कोई शुल्क और प्रभार स्वीकार नहीं करेगा।

27. एक दिवाला व्यावसायिक दिवाला संकल्प प्रक्रिया लागत, समापन लागत या शोधन अक्षमता प्रक्रिया लागत में होने वाली सभी लागतों का प्रकटीकरण करेगा, जैसा कि सभी प्रासंगिक हितबद्धों पर लागू है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ये लागत अनुचित नहीं है।

उपहार और आतिथ्य सत्कार

28. एक व्यावसायिक या उसके संबंधियों को ऐसे भेंट या आतिथ्य सत्कार ग्रहण नहीं करना चाहिए जो एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में उसकी स्वतंत्रता नष्ट करे या उसे प्रभावित करें।

29. एक दिवाला व्यावसायिक को अपने व्यवसाय से संबंधित किसी कार्य को प्राप्त करने या व्यवसाय जारी रखने के लिए अथवा अपने व्यवसाय को रखने या जारी रखने में किसी अनधिकृत फायदे के लिए, किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार के उपहार या अतिथ्य सत्कार प्रदान नहीं करेगा।

द्वितीय अनुसूची**प्रारूप क**

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 या 9 के तहत]

सेवा में,

अध्यक्ष,

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय: दिवाला व्यावसायिक/सीमित अवधि के लिए दिवाला व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

महोदय/महोदया,

मैं, (कृपया दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम लिखें) में व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित होने के कारण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 या विनियमन 9 के साथ पठित दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 की धारा 207 के तहत एतद्वारा निम्नलिखित के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का आवेदन करता हूं

(क) एक दिवाला व्यावसायिक

(ख) सीमित अवधि के लिए दिवाला व्यावसायिक (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

मेरा ब्यौरा निम्नलिखित है:

क. वैयक्तिक ब्यौरा

1. उपाधि (श्री/श्रीमती/सुश्री):
2. नाम:
3. पिता का नाम:
4. जन्म तिथि:
5. जन्म का स्थान:
6. पैन संख्या:
7. आधार संख्या:
8. पासपोर्ट संख्या:
9. पत्र व्यवहार हेतु पता:

10. स्थायी पता:

11. ई-मेल पता:

12. मोबाइल संख्या:

ख. शैक्षिक, व्यावसायिक और दिवाला परीक्षण अर्हता:

1. शैक्षिक अर्हता

[कृपया स्नातक डिग्री से शैक्षिक अर्हता का ब्यौरा दे]

शैक्षिक अर्हता	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अंक (%)	वर्ग/श्रेणी	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय	टिप्पणी, यदि कोई हो

2. व्यावसायिक अर्हता

व्यावसायिक अर्हता	संस्थान/व्यावसायिक निकाय	सदस्यता संख्या (यदि लागू हों)	नामांकन की तारीख	टिप्पणी, यदि कोई हो

3. दिवाला अर्हता

3.1 क्या आपने सीमित दिवाला परीक्षण उत्तीर्ण किया है (हां/नहीं)

3.2 क्या आपने राष्ट्रीय दिवाला परीक्षण उत्तीर्ण किया है (हां/नहीं)

ग. कार्य का अनुभव

1. क्या आप वर्तमान में कार्यरत हैं/रोजगार में हैं (हां/नहीं)

2. कितने वर्षों से कार्यरत हैं (वर्ष और माह में)

3. यदि कार्यरत हैं, व्यावसायिक पत्र व्यवहार का पता:

4. कितने वर्षों से रोजगार में हैं (वर्ष और माह में)

5. अनुभव का ब्यौरा (अधिवक्ता /चार्टर्ड लेखाकार/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार/स्नातक डिग्री में नामांकन की तारीख से)

क्र.स.	तारीख से	तारीख तक	रोजगार/कार्यरत	यदि रोजगार में हैं, नियोक्ता का नाम और पदनाम	यदि कार्यरत है तो क्या अधिवक्ता/चार्टर्ड लेखाकार/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार के रूप में कार्यरत है।	कार्य का क्षेत्र

घ. दिवाला व्यावसायिक एजेंसी

1. कृपया उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का ब्यौरा दें जिसमें आपने व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकन किया है।

2. कृपया अपने व्यावसायिक सदस्यता संख्या का उल्लेख करें।

ङ. अतिरिक्त सूचना

1. क्या आप कभी भी अपराध के लिए दोषी पाए गए हैं? हां/नहीं

2. क्या आपके विरुद्ध किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही हुई है? हां/नहीं
3. क्या आपको कभी भी अमुक्त दिवालिया घोषित किया गया है, या क्या आपने ऐसा घोषित करने के लिए आवेदन किया है? हां/नहीं
4. आपके आवेदन के लिए प्रांसगिक किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना दें।

च. अनुलग्नक

1. आवासीय साक्ष्य की प्रति
2. शैक्षिक अर्हता, व्यावसायिक अर्हता और दिवाला परीक्षण अर्हता के दस्तावेजों की प्रति
3. निम्नलिखित व्यवसायों को दर्शाने वाले दस्तावेजों की प्रति –
 - i. भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान में चार्टर्ड लेखाकार के रूप में नामांकित व्यक्ति
 - ii. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में कंपनी सचिव के रूप में नामांकित व्यक्ति
 - iii. भारतीय लागत लेखाकार संस्थान में लागत लेखाकार के रूप में नामांकित व्यक्ति; या
 - iv. भारत के किसी राज्य के वार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित व्यक्ति;
4. प्रांसगिक नियोक्ता (नियोक्ताओं) द्वारा रोजगार की अवधि निर्दिष्ट करते हुए रोजगार के प्रमाणपत्र की प्रति।
5. पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरण/आयकर रिटर्न
6. किसी दिवालिया व्यावसायिक एजेंसी में व्यावसायिक सदस्यता के प्रमाणपत्र की प्रति
7. पासपोर्ट फोटो
8. पांच हजार रूपए/दस हजार रूपए के भुगतान/जमा का साक्ष्य

छ. पुष्टिकरण

1. इस आवेदन प्ररूप के खंड च में सूचित दस्तावेजों की प्रतियों को संलग्न/अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न/अपलोड किए गए दस्तावेजों निम्नलिखित हैं

.....

में किसी प्रकार की अतिरिक्त सूचना जब और जैसा मांगा जाए, प्रस्तुत करने का वचन देता हूं।

2. मैं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के तहत एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निर्हक नहीं हूं।

3. यह आवेदन और इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना सत्य और पूर्ण है। यदि यह किसी भी स्तर पर झूठ या भ्रामक पाया गया, तो ऐसी स्थिति में मेरा पंजीकरण/सीमित अवधि के लिए पंजीकरण तुरंत रद्द कर दिया जाए।

4. मैं एतद्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016 और उसके अंतर्गत जारी नियम, नियमन और दिशानिर्देशों, उस दिवाला व्यावसायिक एजेंसी जिसमें मेरा नामांकन है के उपनियमों और ऐसे दिवाला एजेंसी के बोर्ड और शासी बोर्ड द्वारा पारित संकल्पों और निर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन का वचन देता हूं।

5. प्रयोज्य शुल्क का भुगतान – कर दिया गया है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

.....

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा सत्यापन

हमने जो हमारी एजेंसी का व्यावसायिक सदस्य है और जिसकी व्यावसायिक सदस्यता सं. है, द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त ब्यौरों को सत्यापित किया है और हम इस बात को सत्यापित करते हैं कि ये ब्यौरे सत्य एवं स्टीक हैं। हम एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में के पंजीकरण की सिफारिश करते हैं।

(नाम और हस्ताक्षर)

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का प्राधिकृत प्रतिनिधि

दिवाला व्यावसायिक एजेंसी की मुहर

स्थान:

तारीख:

द्वितीय अनुसूची**प्रारूप ख****भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड****पंजीकरण प्रमाणपत्र****आईपी पंजीकरण सं.**

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 7 के अन्तर्गत]

1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के विनियम 7 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में बोर्ड पंजीकरण प्रमाणपत्र [नाम लिखें] को इन विनियमनों के अनुसार दिवाला व्यावसायिक के रूप में कार्य करने हेतु प्रदान करता है।
2. यह प्रमाणपत्र [तारीख लिखें] से वैध होगा।

ह./-

(नाम एवं पदनाम)

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की ओर से

स्थान :

तारीख :

द्वितीय अनुसूची**प्रारूप ग**

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

(दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016) के विनियम 12 के अन्तर्गत]

सेवा में,

अध्यक्ष

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड

विषय : दिवाला व्यावसायिक निकाय के रूप में मान्यता के लिए आवेदन**महोदय/महोदया,**

1. मैं सम्यक रूप से इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत होने के कारण एदद्वारा [आवेदक का नाम और पता] की ओर से भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियम, 2016 के अन्तर्गत व्यावसायिक निकाय के रूप में मान्यता के लिए आवेदन कर रहा हूँ और यह प्रमाण पत्र संलग्न है कि मैं यह आवेदन करने के लिए और इस संबंध में बोर्ड के साथ पत्राचार करने के लिए प्राधिकृत हूँ।
2. मैं, [नाम लिखें] की ओर से पुष्टि करता हूँ कि आवेदक दिवाला व्यावसायिक निकाय के रूप में मान्यता के लिए पात्र है।

3. मैं, [नाम लिखें] की ओर से एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि -
- इस आवेदन में सभी सूचनाएं सत्य और सामग्री के संबंध में सही है।
 - इस आवेदन के उद्देश्य से कोई वस्तुगत सूचना को छुपाया नहीं गया है, और
 - इस आवेदन के अनुसरण में प्रदान की गई मान्यता को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा यदि उसमें प्रस्तुत कोई सूचना को झूठा या वस्तुगत रूप से किसी अवस्था में भ्रामक पाई जाती है।
4. यदि मान्यता प्रदान की जाती है, मैं [नाम लिखें] की ओर से संहिता, नियमों, विनियमनों या इसके अन्तर्गत जारी दिशा-निदेशों और अन्य शर्तों और दशाओं जो बोर्ड द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने या तत्पश्चात आवश्यकताओं को पूरा करने का वचन देता हूँ।

आपका,

ह./-

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

स्थान:

तारीख:

प्रारूप ग का अनुलग्नक**भाग I****सामान्य**

- आवेदक का नाम
- पंजीकृत कार्यालय का पता और आवेदक के व्यवसाय का मुख्य स्थान
- कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/पंजीकरण प्रमाणपत्र
- पैन :
- नाम, पदनाम और आवेदन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति और बोर्ड के साथ इस संबंध में पत्राचार करने वाले का सम्पर्क विवरण

भाग II**निदेशक/भागीदार**

- आवेदक के सभी निदेशकों/भागीदारों के विवरण का उल्लेख करें

क्रम सं.	निदेशक/भागीदार का नाम और पता	डिन	पैन	दिवाला व्यावसायिक के रूप में पंजीकरण से	व्यावसायिक सदस्यता संख्या

आपका,

ह./-

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

स्थान:

तारीख:

द्वितीय अनुसूची**प्रारूप घ****भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड मान्यता प्रमाण पत्र****दिवाला व्यावसायिक निकाय मान्यता संख्या***[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यवसायी) विनियम, 2016]*

1. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यवसायी) विनियम, 2016 के विनियम 13 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में बोर्ड प्रमाण पत्र [नाम लिखें] को दिवाला व्यावसायिक निकाय, के रूप में मान्यता प्रदान करता है
2. यह मान्यता प्रमाण पत्र [शुरुआत तारीख अन्तस्थापित करें] से वैध होगा

ह./-

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम)

(पदनाम)

स्थान:

तारीख:

डा. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./314/16(482)]

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd November, 2016

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016

No. IBBI/2016-17/GN/REG003.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 207 and 208 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Board hereby makes the following Regulations, namely-

CHAPTER I**GENERAL****Short title and commencement.**

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.
- (2) These Regulations shall come into force on 29th November, 2016.

Definitions.

2. (1) In these Regulations, unless the context otherwise requires -
 - (a) “Bar Council” means a Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961);
 - (b) “certificate of registration” means a certificate of registration granted by the Board under section 207 of the Code read with these Regulations;
 - (c) “Code” means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);
 - (d) “Institute of Chartered Accountants of India” means the Institute constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949);
 - (e) “Institute of Cost Accountants of India” means the Institute constituted under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959);
 - (f) “Institute of Company Secretaries of India” means the Institute constituted under the Institute of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980); and

- (g) “professional member” means an individual who has been enrolled as a member of an insolvency professional agency;
- (2) Unless the context otherwise requires, words and expressions used and not defined in these Regulations, shall have the meanings assigned to them in the Code.

CHAPTER II

INSOLVENCY EXAMINATIONS

3. (1) The Board shall, either on its own or through a designated agency, conduct a ‘National Insolvency Examination’ in such a manner and at such frequency, as may be specified, to test the knowledge and practical skills of individuals in the areas of insolvency, bankruptcy and allied subjects.
- (2) The Board shall, either on its own or through a designated agency, conduct a ‘Limited Insolvency Examination’ to test the knowledge and application of knowledge of individuals in the areas of insolvency, bankruptcy and allied subjects.
- (3) The syllabus, format and frequency of the ‘Limited Insolvency Examination’, including qualifying marks, shall be published on the website of the Board at least one month before the examination.

CHAPTER III

REGISTRATION OF INSOLVENCY PROFESSIONALS

Eligibility.

4. No individual shall be eligible to be registered as an insolvency professional if he-
- (a) is a minor;
 - (b) is not a person resident in India;
 - (c) does not have the qualification and experience specified in Regulation 5 or Regulation 9, as the case may be;
 - (d) has been convicted by any competent court for an offence punishable with imprisonment for a term exceeding six months or for an offence involving moral turpitude, and a period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence:
Provided that if a person has been convicted of any offence and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of seven years or more, he shall not be eligible to be registered;
 - (e) he is an undischarged insolvent, or has applied to be adjudicated as an insolvent;
 - (f) he has been declared to be of unsound mind; or
 - (g) he is not a fit and proper person;

Explanation: For determining whether an individual is fit and proper under these Regulations, the Board may take account of any consideration as it deems fit, including but not limited to the following criteria-

- (i) integrity, reputation and character,
- (ii) absence of convictions and restraint orders, and
- (iii) competence, including financial solvency and net worth.

Qualifications and experience.

5. Subject to the other provisions of these Regulations, an individual shall be eligible for registration, if he-
- (a) has passed the National Insolvency Examination;
 - (b) has passed the Limited Insolvency Examination, and has fifteen years of experience in management, after he received a Bachelor’s degree from a university established or recognized by law; or
 - (c) has passed the Limited Insolvency Examination and has ten years of experience as -
 - (i) a chartered accountant enrolled as a member of the Institute of Chartered Accountants of India,
 - (ii) a company secretary enrolled as a member of the Institute of Company Secretaries of India,
 - (iii) a cost accountant enrolled as a member of the Institute of Cost Accountants of India, or
 - (iv) an advocate enrolled with a Bar Council.

Application for certificate of registration.

6. (1) An individual enrolled with an insolvency professional agency as a professional member may make an application to the Board in Form A of the Second Schedule to these Regulations, along with a non-refundable application fee of ten thousand rupees to the Board.
- (2) The Board shall acknowledge an application made under this Regulation within seven days of its receipt.
- (3) The Board may require the applicant to submit, within reasonable time, additional documents, information or clarification that it deems fit.
- (4) The Board may require the applicant to appear, within reasonable time, before the Board in person, or through his authorised representative for clarifications required for processing the application.

Certificate of registration.

7. (1) If the Board is satisfied, after such inspection or inquiry as it deems necessary that the applicant is eligible under these Regulations, it may grant a certificate of registration to the applicant to carry on the activities of an insolvency professional in Form B of the Second Schedule to these Regulations, within sixty days of receipt of the application, excluding the time given by the Board for presenting additional documents, information or clarification, or appearing in person, as the case may be.
- (2) The registration shall be subject to the conditions that the insolvency professional shall -
- at all times abide by the Code, rules, regulations, and guidelines thereunder and the bye-laws of the insolvency professional agency with which he is enrolled;
 - at all times continue to satisfy the requirements under Regulation 4;
 - pay a fee of ten thousand rupees to the Board, every five years after the year in which the certificate is granted;
 - not render services as an insolvency professional unless he becomes a partner or director of an insolvency professional entity recognised by the Board under Regulation 13, if he is not a citizen of India;
 - take prior permission of the Board for shifting his professional membership from one insolvency professional agency to another, after receiving no objection from both the concerned insolvency professional agencies;
 - take adequate steps for redressal of grievances;
 - maintain records of all assignments undertaken by him under the Code for at least three years from the completion of such assignment;
 - abide by the Code of Conduct specified in the First Schedule to these Regulations; and
 - abide by such other conditions as may be imposed by the Board.

Refusal to grant certificate.

8. (1) If, after considering an application made under Regulation 6, the Board is of the *prima facie* opinion that the registration ought not be granted, it shall communicate the reasons for forming such an opinion and give the applicant an opportunity to explain why his application should be accepted, within fifteen days of the receipt of the communication from the Board, to enable it to form a final opinion.
- (2) The communication under sub-regulation (1) shall be made to the applicant within forty five days of receipt of the application, excluding the time given by the Board for presenting additional documents, information or clarifications, or appearing in person, as the case may be.
- (3) After considering the explanation, if any, given by the applicant under sub-regulation (1), the Board shall communicate its decision to-
- accept the application, along with the certificate of registration, or
 - reject the application by an order, giving reasons thereof,
- within thirty days of receipt of the explanation.

Registration for a limited period.

9. (1) Notwithstanding any of the provisions of Regulation 5, an individual shall be eligible to be registered for a limited period as an insolvency professional if he-
- has been 'in practice' for fifteen years as-
 - a chartered accountant enrolled as a member of the Institute of Chartered Accountants of India,

- (ii) a company secretary enrolled as a member of the Institute of Company Secretaries of India,
 - (iii) a cost accountant enrolled as a member of the Institute of Cost Accountants of India, or
 - (iv) an advocate enrolled with a Bar Council; and
- (b) submits an application for registration in Form A of the Second Schedule to these Regulations to the insolvency professional agency with which he is enrolled on or before 31st December, 2016 along with a non-refundable application fee of five thousand rupees which shall be collected by such insolvency professional agency on behalf of the Board.
- (2) The insolvency professional agency shall submit to the Board the fee collected and the details of the applications received under sub-regulation (1)(b).
- (3) An individual referred to sub-regulation (1) shall be registered for a limited period upon submission of the details and fee to the Board under sub-regulation (2), which shall be valid for a period of six months from the date of such submission.
- (4) An insolvency professional registered under sub-regulation (3) shall not undertake any assignment as an insolvency professional after the expiry of his registration:
- Provided* that he may complete the pending assignments undertaken before the expiry of his registration, and his registration shall be deemed to be valid for this limited purpose.

CHAPTER IV

TEMPORARY SURRENDER AND DISCIPLINARY PROCEEDINGS

Temporary surrender.

10. (1) An insolvency professional agency shall inform the Board if any of its professional members has temporarily surrendered his certificate of membership or revived his certificate of membership after temporary surrender, not later than seven days from approval of the application for temporary surrender or revival, as the case may be.
- (2) The Board shall take note of the information received under sub-regulation (1).

Disciplinary proceedings.

11. (1) Based on the findings of an inspection or investigation, or on material otherwise available on record, if the Board is of the *prima facie* opinion that sufficient cause exists to take actions permissible under section 220, it shall issue a show-cause notice to the insolvency professional.
- (2) The show-cause notice shall be in writing, and shall state-
- (a) the provisions of the Code under which it has been issued;
 - (b) the details of the alleged facts;
 - (c) the details of the evidence in support of the alleged facts;
 - (d) the provisions of the Code, rules, regulations and guidelines thereunder allegedly violated, or the manner in which the public interest is allegedly affected;
 - (e) the actions or directions that the Board proposes to take or issue if the allegations are established;
 - (f) the manner in which the insolvency professional is required to respond to the show-cause notice;
 - (g) consequences of failure to respond to the show-cause notice; and
 - (h) procedure to be followed for disposal of the show-cause notice.
- (3) The show-cause notice shall enclose copies of documents relied upon and extracts of relevant portions from the report of investigation or inspection, or other records.
- (4) A show-cause notice issued shall be served on the insolvency professional in the following manner-
- (a) by sending it to the insolvency professional, at the address provided by him or provided by the insolvency professional agency with which he is enrolled, by registered post with acknowledgement due; or
 - (b) by an appropriate electronic means to the email address of the insolvency professional, provided by him or provided by the insolvency professional agency with which he is enrolled.
- (5) The Board shall constitute a Disciplinary Committee for disposal of the show-cause notice.
- (6) The Disciplinary Committee shall endeavour to dispose of the show-cause notice within a period of six months of the assignment.

(7) The Disciplinary Committee shall dispose of the show-cause notice assigned under sub-regulation (5) by a reasoned order in adherence to principles of natural justice, and after considering the submissions, if any, made by the insolvency professional, the relevant material facts and circumstances, and the material on record.

(8) The order disposing of a show-cause notice may provide for-

- (a) no action;
- (b) warning;
- (c) any of the actions under section 220(2) to (4); or
- (d) a reference to the Board to take any action under section 220(5).

(9) The order passed under sub-regulation (7) shall not become effective until thirty days have elapsed from the date of issue of the order unless the Disciplinary Committee states otherwise in the order along with the reason for the same.

(10) The order passed under sub-regulation (7) shall be issued to the insolvency professional, with a copy issued to the insolvency professional agency with which he is enrolled immediately, and be published on the website of the Board.

CHAPTER V

RECOGNITION OF INSOLVENCY PROFESSIONAL ENTITIES

Recognition of Insolvency Professional Entities.

12. (1) A limited liability partnership, a registered partnership firm or a company may be recognised as an insolvency professional entity if-
- (a) a majority of the partners of the limited liability partnership or registered partnership firm are registered as insolvency professionals; or
 - (b) a majority of the whole-time directors of the company are registered as insolvency professionals, as the case may be.
- (2) A person eligible under sub-regulation (1) may make an application for recognition as an insolvency professional entity to the Board in Form C of the Second Schedule to these Regulations.
13. (1) If the Board is satisfied, after such inspection or inquiry as it deems necessary that the applicant is eligible under these Regulations, it may grant a certificate of recognition as an insolvency professional entity in Form D of the Second Schedule to these Regulations.
- (2) The recognition shall be subject to the conditions that the insolvency professional entity shall-
- (a) at all times continue to satisfy the requirements under Regulation 12;
 - (b) inform the Board, within seven days, when an insolvency professional ceases to be its director or partner, as the case may be,
 - (c) inform the Board, within seven days, when an insolvency professional joins as its director or partner, as the case may be, and
 - (d) abide by such other conditions as may be specified.
- (3) An insolvency professional entity shall be jointly and severally liable for all acts or omissions of its partners or directors as insolvency professionals committed during such partnership or directorship.
14. Where the Board is of the opinion that sufficient cause exists for de-recognition of an insolvency professional entity, it may do so by passing a reasoned order.

FIRST SCHEDULE

[Under Regulation 7(2)(g)]

CODE OF CONDUCT FOR INSOLVENCY PROFESSIONALS

Integrity and objectivity.

1. An insolvency professional must maintain integrity by being honest, straightforward, and forthright in all professional relationships.
2. An insolvency professional must not misrepresent any facts or situations and should refrain from being involved in any action that would bring disrepute to the profession.

3. An insolvency professional must act with objectivity in his professional dealings by ensuring that his decisions are made without the presence of any bias, conflict of interest, coercion, or undue influence of any party, whether directly connected to the insolvency proceedings or not.
4. An insolvency professional appointed as an interim resolution professional, resolution professional, liquidator, or bankruptcy trustee should not himself acquire, directly or indirectly, any of the assets of the debtor, nor knowingly permit any relative to do so.

Independence and impartiality.

5. An insolvency professional must maintain complete independence in his professional relationships and should conduct the insolvency resolution, liquidation or bankruptcy process, as the case may be, independent of external influences.
6. In cases where the insolvency professional is dealing with assets of a debtor during liquidation or bankruptcy process, he must ensure that he or his relatives do not knowingly acquire any such assets, whether directly or indirectly unless it is shown that there was no impairment of objectivity, independence or impartiality in the liquidation or bankruptcy process and the approval of the Board has been obtained in the matter.
7. An insolvency professional shall not take up an assignment under the Code if he, any of his relatives, any of the partners or directors of the insolvency professional entity of which he is a partner or director, or the insolvency professional entity of which he is a partner or director is not independent, in terms of the Regulations related to the processes under the Code, in relation to the corporate person/ debtor and its related parties.
8. An insolvency professional shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with any of the stakeholders entitled to distribution under sections 53 or 178 of the Code, and the concerned corporate person/ debtor as soon as he becomes aware of it, by making a declaration of the same to the applicant, committee of creditors, and the person proposing appointment, as applicable.
9. An insolvency professional shall not influence the decision or the work of the committee of creditors or debtor, or other stakeholders under the Code, so as to make any undue or unlawful gains for himself or his related parties, or cause any undue preference for any other persons for undue or unlawful gains and shall not adopt any illegal or improper means to achieve any *mala fide* objectives.

Professional competence.

10. An insolvency professional must maintain and upgrade his professional knowledge and skills to render competent professional service.

Representation of correct facts and correcting misapprehensions.

11. An insolvency professional must inform such persons under the Code as may be required, of a misapprehension or wrongful consideration of a fact of which he becomes aware, as soon as may be practicable.
12. An insolvency professional must not conceal any material information or knowingly make a misleading statement to the Board, the Adjudicating Authority or any stakeholder, as applicable.

Timeliness.

13. An insolvency professional must adhere to the time limits prescribed in the Code and the rules, regulations and guidelines thereunder for insolvency resolution, liquidation or bankruptcy process, as the case may be, and must carefully plan his actions, and promptly communicate with all stakeholders involved for the timely discharge of his duties.
14. An insolvency professional must not act with *mala fide* or be negligent while performing his functions and duties under the Code.

Information management.

15. An insolvency professional must make efforts to ensure that all communication to the stakeholders, whether in the form of notices, reports, updates, directions, or clarifications, is made well in advance and in a manner which is simple, clear, and easily understood by the recipients.
16. An insolvency professional must ensure that he maintains written contemporaneous records for any decision taken, the reasons for taking the decision, and the information and evidence in support of such decision. This shall be maintained so as to sufficiently enable a reasonable person to take a view on the appropriateness of his decisions and actions.
17. An insolvency professional must not make any private communication with any of the stakeholders unless required by the Code, rules, regulations and guidelines thereunder, or orders of the Adjudicating Authority.
18. An insolvency professional must appear, co-operate and be available for inspections and investigations carried out by the Board, any person authorised by the Board or the insolvency professional agency with which he is enrolled.

19. An insolvency professional must provide all information and records as may be required by the Board or the insolvency professional agency with which he is enrolled.
20. An insolvency professional must be available and provide information for any periodic study, research and audit conducted by the Board.

Confidentiality.

21. An insolvency professional must ensure that confidentiality of the information relating to the insolvency resolution process, liquidation or bankruptcy process, as the case may be, is maintained at all times. However, this shall not prevent him from disclosing any information with the consent of the relevant parties or required by law.

Occupation, employability and restrictions.

22. An insolvency professional must refrain from accepting too many assignments, if he is unlikely to be able to devote adequate time to each of his assignments.
23. An insolvency professional must not engage in any employment, except when he has temporarily surrendered his certificate of membership with the insolvency professional agency with which he is registered.
24. An insolvency professional must not conduct business which in the opinion of the Board is inconsistent with the reputation of the profession.

Remuneration and costs.

25. An insolvency professional must provide services for remuneration which is charged in a transparent manner, is a reasonable reflection of the work necessarily and properly undertaken, and is not inconsistent with the applicable regulations.
26. An insolvency professional shall not accept any fees or charges other than those which are disclosed to and approved by the persons fixing his remuneration.
27. An insolvency professional shall disclose all costs towards the insolvency resolution process costs, liquidation costs, or costs of the bankruptcy process, as applicable, to all relevant stakeholders, and must endeavour to ensure that such costs are not unreasonable.

Gifts and hospitality.

28. An insolvency professional, or his relative must not accept gifts or hospitality which undermines or affects his independence as an insolvency professional.
29. An insolvency professional shall not offer gifts or hospitality or a financial or any other advantage to a public servant or any other person, intending to obtain or retain work for himself, or to obtain or retain an advantage in the conduct of profession for himself.

SECOND SCHEDULE

FORM A

[Under Regulation 6 or Regulation 9 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016]

To

The Chairperson

Insolvency and Bankruptcy Board of India

Subject: Application for registration as an insolvency professional / insolvency professional for limited period

Sir/Madam,

I, having been enrolled as a professional member with the (please write the name of the insolvency professional agency), hereby apply for registration as

(a) an insolvency professional /

(b) an insolvency professional for limited period (strike off which is not applicable)

under section 207 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 read with Regulation 6 or Regulation 9 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.

My details are as under:

A. PERSONAL DETAILS

1. Title (Mr/Mrs/Ms):
2. Name:
3. Father's Name:
4. Date of Birth:
5. Place of Birth:
6. PAN No.:
7. AADHAAR No.:
8. Passport No.:
9. Address for Correspondence:
10. Permanent Address:
11. E-Mail Address:
12. Mobile No.:

B. EDUCATIONAL, PROFESSIONAL AND INSOLVENCY EXAMINATION QUALIFICATIONS**1. Educational Qualifications**

[Please provide educational qualifications from Bachelor's degree onwards]

Educational Qualification	Year of Passing	Marks (%)	Grade/ Class	University/College	Remarks, if any

2. Professional Qualifications

Professional Qualification	Institute / Professional Body	Membership No. (if applicable)	Date of enrolment	Remarks, if any

3. Insolvency Qualifications

- 3.1. Have you passed Limited Insolvency Examination? (Yes / No)
- 3.2. Have you passed National Insolvency Examination? (Yes / No)

C. WORK EXPERIENCE

1. Are you presently in practice / employment? (Yes/ No)
2. Number of years in practice (in years and months):
3. If in practice, address for professional correspondence:
4. Number of years in employment (in years and months):
5. Experience Details (from the date of enrolment as Advocate / Chartered Accountant / Company Secretary / Cost Accountant/ Bachelors' Degree)

Sl. No.	From Date	To Date	Employment / Practice	If employed, Name of Employer and Designation	If in practice, practice as Advocate / Chartered Accountant / Company Secretary / Cost Accountant	Area of work

D. INSOLVENCY PROFESSIONAL AGENCY

1. Please give details of the insolvency professional agency with which you are enrolled as a professional member.
2. Please state your professional membership number.

E. ADDITIONAL INFORMATION

1. Have you ever been convicted for an offence? Yes/ No.
If yes, please give details.
2. Are any criminal proceedings pending against you? (Yes/ No)
If yes, please give details.
3. Have you ever been declared as an undischarged insolvent, or applied to be declared so? (Yes/ No)
If yes, please give details.
4. Please provide any additional information that may be relevant for your application.

F. ATTACHMENTS

1. Copy of proof of residence.
2. Copies of documents in support of educational qualifications, professional qualification and insolvency examination qualifications.
3. Copies of documents demonstrating practice as -
 - i. a chartered accountant enrolled with the Institute of Chartered Accountants of India;
 - ii. a company secretary enrolled with the Institute of Company Secretaries of India;
 - iii. a cost accountant enrolled with the Institute of Cost Accountants of India; or
 - iv. an advocate enrolled with the Bar Council of any State in India;
4. Copies of certificate of employment from the employer(s), specifying the period of such employment.
5. Financial statement / Income Tax Returns for the last three years.
6. Copy of certificate of professional membership with an insolvency professional agency.
7. Passport-size photo.
8. Evidence of deposit / payment of five thousand rupees / ten thousand rupees, as applicable.

G. AFFIRMATIONS

1. Copies of documents, as listed in section F of this application form have been attached/ uploaded. The documents attached/ uploaded are
- I undertake to furnish any additional information as and when called for.
2. I am not disqualified from being registered as an insolvency professional under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016.
 3. This application and the information furnished by me along with this application is true and complete. If found false or misleading at any stage, my registration/ registration for limited period shall be summarily cancelled.
 4. I hereby undertake to comply with the requirements of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, the rules, regulations and guidelines issued thereunder, the bye-laws of the insolvency professional agency with which I am enrolled, and the resolutions passed and directions given by the Board and the Governing Board of such insolvency professional agency.
 5. The applicable fee has been paid.

Name and Signature of applicant

Place:

Date:

VERIFICATION BY THE INSOLVENCY PROFESSIONAL AGENCY

We have verified the above details submitted by ... who is our professional member with professional membership no. ... and confirm these to be true and correct. We recommend registration of ... as an insolvency professional.

(Name and Signature)

Authorised Representative of the Insolvency Professional Agency

Seal of the Insolvency Professional Agency

Place:

Date:

SECOND SCHEDULE
FORM B
INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA
CERTIFICATE OF REGISTRATION

IP REGISTRATION NO. ___

[Under Regulation 7 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016]

1. In exercise of the powers conferred by Regulation 7 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 the Board hereby grants a certificate of registration to *[insert name]*, to act as an insolvency professional in accordance with these Regulations.
2. This certificate shall be valid from *[insert start date]*.

Sd/-

(Name and Designation)

For and on behalf of Insolvency and Bankruptcy Board of India

Place:

Date:

SECOND SCHEDULE

FORM C

[Under Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016]

To

The Chairperson

Insolvency and Bankruptcy Board of India

Sub.: Application for recognition as an insolvency professional entity

Sir/Madam,

1. I, being duly authorized for the purpose, hereby apply on behalf of *[name and address of the applicant]* for recognition as an insolvency professional entity under the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016, and enclose proof that I am authorized to make this application and correspond with the Board in this respect.
2. I, on behalf of *[insert name]*, affirm that the applicant is eligible to be recognised as an insolvency professional entity.
3. I, on behalf of *[insert name]*, hereby affirm that –
 - i. all information contained in this application is true and correct in all material respects,
 - ii. no material information relevant for the purpose of this application has been suppressed, and
 - iii. recognition granted in pursuance of this application may be cancelled summarily if any information submitted herein is found to be false or misleading in material respects at any stage.
4. If granted recognition, I, on behalf of *[insert name]*, undertake to comply with the requirements of the Code, the rules, regulations or guidelines issued thereunder, and such other terms and conditions as may be imposed by the Board while granting the certificate of recognition or subsequently.

Yours faithfully,

Authorized Signatory

(Name)

(Designation)

Place :

Date :

ANNEXURE TO FORM C**PART I
GENERAL**

1. Name of the applicant:
2. Address of registered office and principal place of business of the applicant:
3. Corporate Identification Number (CIN)/ Certificate of Registration:
4. PAN:
5. Name, designation and contact details of the person authorized to make this application and correspond with the Board in this respect:

**PART II
DIRECTORS/ PARTNERS**

1. Please state the details of all directors/ partners of the applicant:

Sl. No.	Name and address of the director/ partner	DIN	PAN	Registration No. as an insolvency professional	Professional membership No.

Yours faithfully,

Authorized Signatory
(Name)
(Designation)

Place :

Date :

**SECOND SCHEDULE
FORM D
INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA
CERTIFICATE OF RECOGNITION**

INSOLVENCY PROFESSIONAL ENTITY RECOGNITION NO. ___*[Under Regulation 13 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016]*

1. In exercise of the powers conferred by Regulation 13 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016 the Board hereby grants a certificate recognising *[insert name]*, as an insolvency professional entity.
2. This certificate of recognition shall be valid from *[insert start date]*.

Sd/-

(Name and Designation)

For and on behalf of Insolvency and Bankruptcy Board of India

Place:

Date:

DR. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./314/16(482)]